

Maintenance of Public Records is Key for Success of RTI Act at Grassroots

While addressing Right to Information (RTI) activists and Consortium of Groups for Combating Corruption (CGCCs) members in the Kick Start cum Orientation Workshop, under the project 'CitizenUp' organised at Jaipur on May 16, 2012, T Srinivasan, State Chief Information Commissioner of Rajasthan opined that many flagship schemes, such as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) which has provisions of huge amount of public money are being implemented by *gram panchayats*. It is mandatory in the era of RTI to keep record of all expenses but at the lower level of service delivery the record management system is disappointing due to lack of government policy/official guidelines for maintaining public records. In such a situation, effective implementation of the RTI Act has become a huge challenge.

Often such complaints are brought before the State Information Commission that records at the cutting edge government offices working at grassroots are either missing or not kept in an accessible manner which is a serious violation of the spirit of the RTI Act. He also stated that in the State of Rajasthan there is lack of government policy or official guidelines for maintaining public records in a proper way. Therefore, policy or guidelines have to be framed on an urgent basis so that RTI implementation process can be made smooth.

He heard problems faced by the public information officers (PIOs) and first appellate authorities (FAAs) at *Gram Panchayat* level and suggested them for responding to all RTI requests in a positive and time-bound manner because it is legal binding upon all the PIOs and FAAs to reply all RTI requests whether information is available with them or not. He added that for a vibrant democracy participation of the common people in any form and at all states of policy formulation and service delivery is a sign of healthy democracy and leads toward more open, transparent and accountable governance which is free from all sorts of corruption and malfunctioning.

While advising CGCCs, Srinivasan expressed his concern about the vague manner in which people ask for information. By citing an example in which an RTI applicant himself was not able to read his application properly than how it could be expected from a PIO or FAA to reply to such requests. He said that it is necessary that information should be asked in a specific and understandable manner. Lastly, he suggested that RTI activists and other people should learn differences between information and a grievance. Grievance-related matters should not be asked through RTI because it is not a grievance redressal mechanism but to ensure transparency in the system.



About the Project

CUTS International in collaboration with 'Partnership for Transparency Fund (PTF)' is implementing a project entitled as "Contributing towards Corruption Free and Transparent Service Delivery in through Civic Engagement in Jaipur and Tonk districts of Rajasthan, India (CitizenUp)" which will be implemented in four blocks (Phagi, Sambhar, Dudu and Govindgarh) in Jaipur and two blocks (Malpura and Niwai) in Tonk districts with the duration of one year.

Under the project the number of targeted and identified entitlement holders of MGNREGS will be around 40,000-45,000 with the objectives of inclusion of the targeted and identified eligible but excluded entitlement holders, getting all the stipulated entitlements – guaranteed days of employment, wages, allowances and facilities at the worksites. It will ensure effective participation of the targeted and identified entitlement holders at all stages of MGNREGS – identification, planning, monitoring and evaluation and improvement of quality of governance and reducing corruption through policy advocacy with the government for reforming the service delivery processes in MGNREGS. In the project, CGCCs will be formed in project areas that will include NGO representatives, MGNREGS entitlement holders, proactive common citizenries etc.

Woes of Wandering Communities

A Case of Bagarias, excluded from MGNREGS in Rajasthan


Occupation has been one of major factors in the crystallisation and furthering of castes in Rajasthan, India. And curiously, though not altogether illogically, there have been castes devoted to 'even such out-of-the-way' occupations as thieving, prostitution, producing alcohol, acrobatics, sleight of hand, and exhibiting animals. Again, some of these fringe groups exhibited a talent for music and dance and, understandably, often had a vagrant lifestyle. These communities are *Bagarias*, *Nats*, *Sansis*, *Kanjars* and *gadoliya luhars* and many more leading the same vagabond life everywhere but one common bond' was traditionally practicing any criminal business.

But now-a-days things are changing at a rapid pace. These criminal communities are trying to come in the mainstream of the society and settling down at one place rather than wandering here and there and professing mainstream jobs like daily wages work, making coals out of wood, treading of cattle and working in the job guarantee scheme of MGNREGS.

Picking up one community out of above called as the Bagaria community is also going under the transition phase. This community has an estimated population of around ₹100,000 in Rajasthan and around 225,000-30,000 in Jaipur and Tonk districts. In Jaipur this community is mostly populated in Dudu and Phagi blocks and in Tonk they are in Diggi Malpura, Todaraisingh and Uniara blocks. Out of these blocks around 15,000 Bagaria are residing in the Dudu, Phagi, and Diggi-Malpura blocks which are covered under this CitizensUp project.

The main occupation of the community is labour in limestone quarries, some farming and animal rearing. Work in animal rearing has decreased over the past few years as drought has forced people to sell their cattle. Many men also migrated to Kota to work in stone quarries. Some families from the community migrated to Punjab & Haryana during the harvest season work on contract basis. Though some families own small land holdings with no irrigation means, agriculture is not a viable source of livelihood for them. Not even few families own any kind of enterprise.

Some of the women also work in limestone quarries but they do not have guaranteed employment other than MGNREGS. MGNREGS has offered an opportunity of providing 100 days of employment but less than 50 percent of families of this community have job cards with them so far and out of these job card holders do not go for job regularly due to discrimination and exploitation. Hence, there is a strong need of working with this community to include them in the scheme.



Baseline Survey Rolled out

A baseline survey has been initiated to gauge the current level of MGNREGS in six blocks of Jaipur and Tonk districts of Rajasthan. In the survey exclusion of entitlement holder, the quality of services, status of job seeking process, measurement, average rate of wages and no of days of employment, timely payment of wages, worksite facilities, prevalent rate of corruption etc. are main issues to be focussed. The findings emerging out of survey would help fixing problems and formulating the strategy so that effectiveness of the service delivery process could be improved. The survey will be conducted by CGCCs members trained under CitizensUp project. The survey orientation programme was held at Jaipur on June 16, 2012.

Ongoing & Future Activities

- ✦ RTI Advisory & Information Cell
- ✦ Baseline Surveys
- ✦ Formation of 'District RTI Media Groups' in Jaipur and Tonk
- ✦ Support activities for CGCCs members
- ✦ Block Interface on Systemic Reforms (BISR) in all six blocks
- ✦ Quarterly 'Story Telling and Writeshops' in both districts
- ✦ Filing of 500 RTI applications
- ✦ Establishing dialogue process with government officials for advocacy

फॉर्म नं. छह की जानकारी का अभाव व भुगतान में देरी ही 'मनरेगा' में अव्यवस्थाओं का मूल कारण: नई व्यवस्था लाएगी भुगतान प्रक्रिया में तेजी



परियोजना का शुभारम्भ सी.जी.सी.सी. (कन्सोर्टियम ऑफ गुप्स फॉर कॉम्बेटिंग करप्शन) सदस्यों के एक आमुखीकरण से दिनांक मई 15, 2012 को की गई है जिसमें सदस्यों को परियोजना के उद्देश्यों, लक्ष्यों, कार्य प्रणालियों तथा गतिविधियों के क्रियान्वयन व सफलता में सी.जी.सी.सी. सदस्यों की भूमिका व जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर चर्चा की गई। इस आमुखीकरण कार्यक्रम ने सभी सी.जी.सी.सी. सदस्यों को लगभग दो वर्षों बाद एक मंच प्रदान किया जिसमें उन्होंने आपसी अनुभव भी बांटे। कार्यक्रम में मनरेगा के सेवा प्रदाताओं ने भी सक्रियता व रूचिपूर्वक भाग लिया।

पी.आर. शर्मा, सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्री, राजस्थान सरकार ने अपने विशेष सम्बोधन में कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर जब तक पारदर्शिता व जवाबदेहिता तय नहीं होगी, तब तक विकास परियोजनाओं के बेहतर परिणाम संभव नहीं है। मनरेगा के बारे में बताते हुए कहा कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 21 पर आधारित है जिसके अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को सम्मान से जीने का अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने बताया कि मनरेगा की शुरुआत, 2005 से अब तक मनरेगा कानून में बहुत से सकारात्मक संशोधन हो चुके हैं, मगर कार्यक्रम के कुशल क्रियान्वयन में अभी भी बहुत सी कमियां हैं जिसे आम आदमी की भागीदारी व नागरिक संगठनों के नेटवर्किंग से सुधारा जा सकता है। उन्होंने मनरेगा कामगारों के उनके अधिकारों के प्रति सचेत रहने व उनके लिए लड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आगामी वर्षों में 'ग्राम पंचायत सूचना तकनीकी' के मजबूत होने पर आम आदमी को इससे बहुत सुविधा हो जाएगी। इससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा आम ग्रामीण आदमी तक लाभ पहुंचेगा। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों की मजबूती के लिए उनको वित्तीय, मानव संसाधन तथा कई जिम्मेदारियां देकर एक नई पहल की गई है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

उन्होंने मनरेगा की सफलताओं व अच्छे अनुभवों व तकनीकियों (सक्सेस स्टोरी व गुड प्रैक्टिस) के व्यापक प्रचार-प्रसार की जरूरत बताई, जिससे कि इनको व्यापक स्तर पर अपनाकर सेवा सुधार किया जा सके। अंत में उन्होंने कहा कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों के स्तर पर कई अच्छे काम हो रहे हैं, जिनको बढ़ावा मिलना चाहिए।

कार्यक्रम में रमेश गुप्ता, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (ए.पी.सी., मनरेगा), जयपुर ने भी अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने शुरुआत में प्रतिभागियों के उनके मनरेगा के अनुभवों को विस्तारपूर्वक सुना। इस दौरान प्रतिभागियों ने मनरेगा के प्रावधानों व प्रक्रियाओं में

आम आदमी की अनभिज्ञता, त्रुटिपूर्ण कार्य मापन प्रणाली, भुगतान में देरी, फॉर्म छह की पावती नहीं देने की समस्या, 15 दिन में रोजगार उपलब्ध न होना, कार्यस्थल पर सुविधाओं का अभाव, आमजन व पंचायत कर्मियों में मनरेगा से अरूचि, मनरेगा परिसम्पत्तियों की निम्नतम गुणवत्ता तथा आमजन की भागीदारी का अभाव आदि समस्याओं को जोरशोर से उठाया।

श्री गुप्ता ने लगभग सभी समस्याओं को स्वीकारते हुए कहा कि निश्चित रूप से मनरेगा में जन आकांक्षाओं व सेवा गुणवत्ता में अभी बहुत फर्क है जिसके कई कारण हैं। जिनमें मनरेगा में मानव संसाधन की कमी मुख्य है। उन्होंने फॉर्म नं. छह की अनुपलब्धता व पावती नहीं देने की समस्या के बारे में कहा कि राज्य सरकार ने लगभग 13 जगहों पर फॉर्म नं. छह की उपलब्धता सुनिश्चित कर रखी है। मगर आमजन में इसके बारे में जानकारी के अभाव के चलते ये व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। उन्होंने बताया कि सरपंच, ग्राम सचिव व ग्राम रोजगार सहायक तथा मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी के अलावा, स्वास्थ्य उप केन्द्र, भू अभिलेख निरीक्षक, पटवार घर, वार्ड पंच, मनरेगा कार्यस्थल, मेट, राशन की दुकान, आशा-सहयोगिनी तथा आंगनबाड़ी केन्द्र आदि पर भी इन फॉर्मों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे कि इसकी कमी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

उन्होंने मजदूरी भुगतान में देरी के बारे में कहा कि जयपुर जिले में जल्दी ही एक नई व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। जिसके तहत ब्लॉकों व ग्राम पंचायत स्तर के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी स्तर पर भुगतान में की गई देरी के तदनुसार वित्तीय दण्ड का प्रावधान किया गया है। जिससे सभी कर्मचारी भुगतान प्रक्रिया के यथा संभव त्वरित गति से पूर्ण करें। इस हेतु मासिक भुगतान बिल में एक नये कॉलम को जोड़ा जाएगा जिससे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा भुगतान में किये गये दिनों का इन्द्राज होगा तथा प्रत्येक एक दिन के लिए 100 रूपये की पेनल्टी सीधे मासिक तनखाह से काटी जाएगी। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से भुगतान में देरी की समस्या से निजाद मिलेगी।

उन्होंने कार्यक्रम की आगामी गतिविधियों में रूचिपूर्ण भाग लेने, कार्यक्रम को पूर्ण सहयोग देने तथा किसी समस्या के निराकरण में पूर्ण मदद देने का आश्वासन भी दिया।

कार्यक्रम में 'कट्स' के परियोजना समन्वयक मधुसूदन शर्मा व परियोजन अधिकारी आरती पाण्डे तिवारी ने भी परियोजना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में प्रकाश डाला व कार्यक्रम का संचालन किया।

‘केन्द्रीय व राज्य सूचना आयोग’ बनें सेवानिवृत्त नौकरशाहों का पार्किंग स्थल

सूचना का अधिकार, 2005 पास होने की सातवी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय व राज्य सूचना आयोगों पर किये गये सर्वेक्षण तथा अन्य अनुसंधानों के अनुसार केन्द्रीय व राज्य के सूचना आयोगों में सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों की भरमार है। 2006-07 में लगभग 52 प्रतिशत सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी थे जो बढ़कर 66 प्रतिशत हो गया है। जबकि विगत सात सालों में सूचना आयुक्तों के पदों की संख्या दोगुनी हो गई है।

भारत में कार्य कर रहे 29 सूचना आयोगों में 117 पद स्वीकृत है। उनमें मात्र 83 सूचना आयुक्त ही कार्य कर रहे हैं, शेष 34 पद रिक्त पड़े हैं जो कि लगभग कुल पदों का 30 प्रतिशत है। झारखण्ड, जो राजस्थान के मुकाबले छोटा राज्य है, उसमें सूचना आयोगों के सर्वाधिक पद स्वीकृत है, जबकि राजस्थान में मात्र 2 पद ही स्वीकृत है।

मुख्य सूचना आयुक्तों की पृष्ठभूमि

- राष्ट्र में कभी भी कोई महिला अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बनी है।
- 90 प्रतिशत मुख्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं।
- इनमें से 70 प्रतिशत सेवानिवृत्त आई.ए.एस. हैं।

केन्द्रीय व राज्य सूचना आयुक्तों की पृष्ठभूमि

- 15 प्रतिशत (54 में से 8) सूचना आयुक्त महिलाएं हैं।
- 53 प्रतिशत सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी है।
- जम्मू व कश्मीर ही एक मात्र ऐसा राज्य सूचना आयोग है, जिसमें एक भी सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। बाकी लगभग सभी राज्य आयोगों में है।
- केवल 10 प्रतिशत सूचना आयुक्त ही पत्रकारिता या मास मीडिया क्षेत्र से हैं।
- हरियाणा सूचना आयोग में 50 प्रतिशत लोग पति व पत्नी है।
- मिजोरम सूचना आयोग की कोई वेबसाइट नहीं है।
- केन्द्रीय सूचना आयोग, आन्ध्र प्रदेश व बिहार राज्य आयोगों ने अपनी सभी वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर डाल रखी है। मगर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू आदि ने एक ने भी नहीं डाली है।
- केवल 45 प्रतिशत (29 में से 13) ने अपने निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किये हैं, जबकि असम व मिजोरम ने अपने निर्णय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किये है।

उपरोक्त तथ्यों से साबित होता है कि केन्द्रीय व राज्य सूचना आयोग स्तर पर भी कई सुधारों की आवश्यकता है, जिसके लिए केन्द्रीय व राज्य सरकारों की गहन इच्छा शक्ति की जरूरत है।

In Media

CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CART)
 D-217, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur 302 016, India. Ph: 91.141.2282062, 2282821, Fx: 91.141.4015395, 2282485
 Email: cart@cuts.org, Website: www.cuts-international.org

In Partnership With: Partnership for Transparency Fund (PTF), Washington DC